वन विभाग, हरियाणा सरकार ।
कार्यालय उप वन संरक्षक, अम्बाला वन मण्डल, अम्बाला शहर ।
फौरेस्ट काम्पलैक्स, कम्पनी बाग, विकास विहार के सामने, अम्बाला शहर, दूरभाष 0171–2550916

क्रमांक: 597/FCA. दिनांक: 04-9-2025.

सेवा में,

Executive Engineer,
PWD (B&R) P.D. -1,
Ambala Cantt.

विषय: **Diversion of 0.0908 Ha. of Forest Land for Construction of Steel Type Bridge on Narwana Branch Canal & SYL Canal on RD 1025 to 1038 on Khera Meltan Road in Distt Ambala under Forest Division & Distt Ambala, Haryana FP/HR/Road/41112/2019.**

सन्दर्भ: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (एफ0सी0ए0) हरियाणा, पचंकूला के पत्र क्रमांक डी–3–9158/528 दिनांक 25.08.2025 के निरन्तर में ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि उक्त केस में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) हरियाणा पंचकूला द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त प्रस्ताव में वन संरक्षण एंव सर्व धन अधिनियम 1980 हैड बुक 2023 के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरों अनुसार बकाया एन0पी0वी0 की राशि जमा करवाई जानी बनती है । इसलिए विवरण अनुसार उक्त प्रस्ताव से सम्बन्धित बढी हुई एन0पी0वी0 की राशि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय की website http://parivesh.nic.in पर ओनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:–

Sr. No.	Particulars	Amount (in Rs.)
1	Compensatory Afforestation	0.00
2	Additional Compensatory Afforestation	0.00
3	Penal Compensatory Afforestation	0.00
4	Catchment Area Treatment	0.00
5	Safety Zone	0.00
6	Additional Charges for protected area (Barbed wire Fencing Charges)	0.00
7	Net Present Value (NPV)	6426.00
7A	Penal NPV	0.00
8	Any other Charges (Soil & Moisture Conservation)	0.00
a)	Felling Charges	0.00
b)	Plantation Damage Charges	0.00
c)	Other Charges 1 (if any)	0.00
	Other Charges 2 (if any)	0.00
	Other Charges 3 (if any)	0.00
	Total	**6426.00**

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 9385 दिनांक 22.03.2024 द्वारा दिये गये नोटिस के अनुसार प्रस्ताव से सम्बन्धित दस्तावेज/प्रपत्र आनलाईन पोर्टल पर अपलोड करके रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवाये ।

वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला ।

New FCA Letters